न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22 / 2017	27 / 06 / 2017	06 / 10 / 2025

शम्भू पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीणा निवासी कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

बनाम

1. बिरजीबाई पत्नी श्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. मोत्याबाई पत्नी श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. नन्दा पुत्र श्री बजरंगा जाति मीणा जाति मीणा निवासी कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. धनराज पुत्र बाबूलाल जाति मीणा जाति मीणा निवासी कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. दिलखुश पुत्र बाबूलाल जाति मीणा जाति मीणा निवासी कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
6. रामरेश पुत्र बाबूलाल जाति मीणा जाति मीणा निवासी कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा, राजस्थान।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः–श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।

अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः–श्री हरिमोहन मीणा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कांकरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में प्रार्थी व अप्राथी क्र0 1 ता 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.09 हैक्ट, खसरा नम्बर 81 रकबा 1.23 हैक्ट, कुल 2 किता कुल रकबा 2.32 हेक्ट, भूमि स्थित है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1 / 8 हिस्सा, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का 3 / 8 हिस्सा तथा अप्रार्थी क्रम 3 का 1 / 2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्राथी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है, लेकिन लगान, सिंचाई, सुधार आदि से परेशानी आती हैं, इस कारण प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि सक्षम न्यायालय में बंटवारा करवाकर राजस्व रेकाड में अपना हिस्सा व नक्शा ड्रेस लगान पृथक पृथक दर्ज करवाये। प्रार्थी ने बंटवारा हेतु अप्रार्थीक्रम 1 ता 3 से निवेदन किया तो उन्हे द्वारा सन्तोषप्रदत जवाब नहीं दिया गया, इस कारण प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पडा है। अप्रार्थी क्रम 4 ता 6 प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्त्पन्न करते हैं, तथा आये दिन झगडा करने पर आमादा

रहते हैं, अप्रार्थी क्रम 4 ता 6 द्वारा दिनांक 10–6–2017 को सरेआम प्रार्थी को धमकी दी कि खेत पर गया तो तेरे हाथ पैर काट देंगे, इस कारण वादी अप्रार्थी क्रम 4 ता 6 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी क्रम 4 ता 6 प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी ना करे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। प्राथी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया केस हैं, सुविधा का सन्तुलन भी प्राथी के पक्ष में है, क्योकि प्रार्थी रेकार्ड खातेदार हैं, यदि अप्रार्थी क्रम 04 ता 06 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को बेदखल करने में कामयाब हो गये, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा । प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे कि अप्रार्थी क्रम 4 ता 6 ग्राम कांकरा में स्थित आराजी खसरा नं0 80 रकबा 1.09 है0, खसरा नं0 81 रकबा 1.23 है0 कुल 2 किता कुल रकबा 2.32 है0 में प्रार्थी के 1/8 हिस्से में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे। ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

प्रा0 पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई। अप्रार्थीगण 1, 2 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थीक्रम 1,2 व 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी 3 ता 6 की और से अधिवक्ता श्री हरिमोहन उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण 03 ता 06 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 6 प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि आराजीयात में संयुक्त खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने खाते का पृथक से बंटवारा करवाने के अधिकारी है, लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संपूर्ण आराजी का विवरण नही दिया गया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के अलावा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 3 लगायत 6 के खाते की अन्य आराजी नं. 137 की 0.03 है0, 166 की 0.09 है0, 167 की 0.12 है0, 169 की 0.09 है0, 171 को 0.41 है0, 172 का 0.28 है0, 173 को 0.20 है0, 174 की 0 12 है0, 279 की 3.18 है0, 369 की 2.76 है0, कुल 10 किती का कुल रकबा 7.28 है वाके माल ग्राम कांकरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज मे स्थित है जिससे प्राथी व अप्रार्थीगण क्रम 4, 5, 6 का हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी क्रम 3 नन्दा का 1/2 हिस्सा नियत है, जिसको प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में नही दिखाया गया है, इस प्रकार एक ही जमाबंदी के आधार पर प्रार्थी पृथक से बंटवारा करवाने का अधिकारी नही है, जब कि बंटवारा सामलाती आराजी का करवाया जाना न्यायोचित है. इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी बारा माननीय न्यायालय को गुमराह करके तथ्यों को छुपा कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मैन्टनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नही है, न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में

है, न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को हो रही है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा0 पत्र में नियत की गई।

उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला विवादित आराजी में अविभाजित खातेदार दर्ज होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में है। खसरा नं0 80 रकबा 1.09 है0, खसरा नं0 81 रकबा 1.23 है0 कुल 2 किता कुल रकबा 2.32 है0 में प्रार्थी के 1/8 हिस्सा दर्ज है। मूलवाद में वादी स्वयं के हिस्से का विभाजन कराने का अनुतोष मांग रहा है जो विचारण का विषय है। वाद के विचारण के दौरान अप्रार्थीक्रम 4 ता 6 द्वारा विवादित भूमि के रहन, बेचान, दान से इसके खुर्द–बुर्द होने की संभावना है यदि विवादित भूमि का रहन, बेचान, दान होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा जिसकी पूर्ति मुद्रा में संभव नहीं होगी। दौराने वाद विवादित सम्पत्ति के टाईटल में परिवर्तन से वाद की जटिलता में भी वृद्धि संभव है तथा नये पक्षकारों द्वारा पश्चातवर्ती दावों की संख्या से प्रार्थी को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अतः न्यायालय का हस्तक्षेप वाद के अन्तिम निर्णय तक आवश्यक है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को असुविधा अधिक होगी क्योंकि उसे मामलों की संख्या व जटिलता का शिकार होना पड़ सकता है जबकि अप्रार्थी को ऐसी क्षति होना या असुविधा होने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। यदि मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो अप्रार्थी को उतनी असुविधा होना प्रतीत नहीं होता है जितनी अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं करने से प्रार्थी को होगी। सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः ग्राम कांकरा में स्थित आराजी खसरा नं0 80 रकबा 1.09 है0, खसरा नं0 81 रकबा 1.23 है0 कुल 2 किता कुल रकबा 2.32 है0 में प्रार्थी के 1/8 हिस्से में अप्रार्थी क्रम 4 ता 6 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वे मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के हिस्से तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा विवादित आराजी का रहन, बेचान, दान नहीं करें एवं शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। न ही ऐसा कृत्य अपने किसी प्रतिनिधि से कराये। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 सरे इजलास में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व मूल नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा